राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (P-234) अलेसे– I/ 6 68 दिनांकः– 31.08.18

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
सवाईमाधोपुर।

विषयः– सहायक लेखाधिकारी सवाईमाधोपुर के अतिरिक्त कार्यभार के संबंध में।
प्रसंगः– आपका आदेश क्रमांक 961 दिनांक 20.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आदेश क्रमांक 961 दिनांक 20.07.2018 द्वारा श्री प्रवीण कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I को कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सवाईमाधोपुर में रिक्त पद का दिया गया अतिरिक्त कार्य का आदेश, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 में वर्णित प्रावधानानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किये जाने के कारण उचित नहीं है। अतः आप द्वारा जारी आदेश दिंनाक 20.7.2018 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा आपको यह निर्देश भी दिये जाते है कि आप निदेशालय द्वारा जारी आदेश दिंनाक 3.8.2018 की पालना सुनिश्चित कराएँ।

भवदीय

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (P-234) अलेसे– I/ 648 दिनांकः– 31.08.18
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर को अतिरिक्त कार्य हेतु आदेश जारी करने के लिये राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत सक्षमतानुसार ही कार्य करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें ।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर को अतिरिक्त कार्य हेतु आदेश जारी करने के लिये राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत सक्षमतानुसार ही कार्य करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें ।
3. श्री रामकेश मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I, कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर को पालनार्थ
4. श्री प्रवीण कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.raj.nic.in, E-Mail Id - jdp-ta-rj@nic.inFax-2740735, Tel.- 2744134